

निशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन शिक्षा हेतु जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता

उद्देश्य— मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में असहाय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए योजना प्रारंभ की गई। यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गई है।

पात्रता –

1. कम्प्यूटर प्रबंधन में प्रवेश
2. पालक आय सीमा एक लाख
3. मध्यप्रदेश का मूल निवासी

चयन –

10 + 2 में अंक मेरिट लिस्ट के आधार पर

लाभ –

1. पाठ्यक्रम फीस प्रतिपूर्ति
2. 1500 प्रतिमाह निर्वाह भत्ता
3. नगर पालिका – 500, नगर निगम में 300 परिवहन भत्ता 300 प्रतिमाह